[2020] 13 एस. सी. आर 1235

सीलेन @जेयसिलेन

बनाम

पुलिस का निरीक्षक

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4206/2020

16 दिसंबर, 2020

[न्यायाधिपति रोहिंटन फाली नरीमन, न्यायाधिपति नविन सिन्हा और न्यायाधिपति के. एम. जोसेफ]

दंड संहिता, 1860: धारा 376(2) - याचिकाकर्ता की दलील कि आरोप धारा 376(1) के तहत था, न कि धारा 376(2) के तहत - तथ्यों पर, आरोप धारा 376 के तहत तय किया गया था जिसमें धारा 376 (2) शामिल होगी इस तथ्य की समवर्ती खोज थी कि पीड़िता जो केवल छह वर्ष की थी, उसके साथ याचिकाकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया था - पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य, जो घटना की चश्मदीद गवाह थी, रिकॉर्ड पर थी - विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4206/2020

2015 के सीआरएल आरसी (एमडी) संख्या 520 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.7.2019 से।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, श्री पाल सिंह, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

न्यायाधिपति आर. एफ. नरीमन

1. हमारा आदेश दिनांक 04.12.2020, अभिलेख :

> "याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत को कुछ समय तक सुनने के बाद, जब न्यायालय ने बताया कि धारा 376(2)(एफ) के तहत न्यूनतम सजा 10 वर्ष है, तो श्री बसंत ने बताया कि आरोप केवल धारा 376(1) के तहत था, धारा 376(2) के तहत नहीं। इस मामले में, हम श्री बसंत को वह आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं जहां आरोप तय किए गए हैं।
>
> एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

2. हम तब से उन आरोपों पर गौर कर रहे हैं जो बनाए गए हैं। आरोप न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत था, जैसा

कि श्री आर. बसंत द्वारा तर्क देने की मांग की गई थी, बल्कि धारा 376 के तहत था, जिसमें धारा 376 (2) शामिल है।

3. जो भी हो, हम पाते हैं कि इस तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि पीड़िता, जो केवल 6 वर्ष की थी, के साथ याचिकाकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया था। पीड़िता की गवाही के अलावा, उसकी मां की भी गवाही है, जो घटना का चश्मदीद गवाह थी।

4. यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह शक्तिशाली पाई गई। उसकी लुंगी बरामद कर ली गई और वह खुद फरार हो गया, जिसे घटना के 15 दिन बाद पकड़ लिया गया। दोनों अदालतों ने आरोपी की दलील दर्ज की है कि उसके पास केवल एक हाथ है, जिसके परिणामस्वरूप बलात्कार का कृत्य करना शारीरिक रूप से असंभव होगा। दोनों अदालतों ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और हम उनसे सहमत हैं - ऐसी कोई असंभवता नहीं है। हालाँकि, यह देखते हुए कि राज्य ने कोई अपील दायर नहीं की है और यह घटना 20 साल पहले हुई है, हम धारा 376 (2) में गए बिना विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर देते हैं और क्या 10 साल की न्यूनतम सजा को कम करने के लिए तथ्यों पर मामला बनाया गया है।

5. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

देविका गुजराल एसएलपी खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।